

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 25, शुक्रवार, शाके 1948- मई 15, 2026 Vaisakha 25, Friday, Saka 1948- May 15, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 01, 2026

संख्या:09/भू.अ./ज.स./2026/604-616:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ईसरदा से खुराचैनपुरा से बन्ध बारैठा भरतपुर तक फीडर निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू., टोंक द्वितीय को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चौथ का बरवाड़ा/बौली/बामनवास/ वजीरपुर/नादौती/हिण्डोन/बयाना/लालसोट/निवाई होंगे।

विवरण

महाप्रबन्धक, राजस्थान, वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड पी.आई.यू. टोंक द्वितीय के अन्तर्गत ईसरदा से खुराचैनपुरा से बन्ध बारैठा भरतपुर तक फीडर का निर्माण परियोजना हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	पटवार हल्का	तहसील	भूमि अर्जन अधिकारी	जिला
1	ईसरदा से खुराचैनपुरा से बन्ध बारैठा	सोलपुर	ईसरदाबी	चौथ का बरवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी चौथ का	
2		रायपुरा	ईसरदाबी			
3	भरतपुर तक	ईसरदा	ईसरदाए			

4	फीडर का निर्माण	सारसोप	सारसोप		बरवाड़ा	सवाई माधोपुर		
5		शिवाड	शिवाइए					
6		शिवाड	शिवाइबी					
7		मुरली मनोहरपुरा	महापुरा					
8		पार्वती नगर	महापुरा					
9		भीपुरा	बंधावल				बौली	उपखण्ड अधिकारी बौली
10		थडोली	बंधावल					
11		बंधावल	बंधावल					
12	गोलपुर	बंधावल						
13	इस्लामपुरा	बंधावल						
14	कोलाड़ा	कोलाड़ा						
15	बासटोरडा	बासटोरडा						
16	चाँदा की झोपड़ी	बडागांवसरवर						
17	बडागाँवसरवर	बडागांवसरवर						
18	रसूलपुरा	बडागांवसरवर						
19	चकरसूलपुरा	बडागांवसरवर						
20	रवासा	बासटोरडा						
21	बौली	बौलीए						
		बौलीबी						
22	अलुदा	अलुदा						
23	मामडोली	मामडोली						
24	कोडयाई	कोडयाई						

25		मिस्किनपुरा	अलुदा			
26		पीपलदा	पीपलदा	मित्रपुरा		
27		धोराला	दतूली			
28		रमजानीपुरा	चान्दनहोली			
29		चान्दनहोली	चान्दनहोली	बामनवास	उपखण्ड अधिकारी बामनवास	
30		मांदलगांव	चान्दनहोली			
31		देहरी	चान्दनहोली			
32		कूचाबाढ़चकनं.1	खेड़ली			
33		पीपलाई	पीपलाई			
34		खेड़ली	खेड़ली			
35		काचरहेडा	पीपलाई			
36		बामनवास पट्टी कला	बामनवास पट्टी कला ए			
			बामनवास पट्टी कला बी			
			बामनवास पट्टी कला सी			
37		राधेकी	शफीपुरा			
38		शफीपुरा	शफीपुरा			
39		बंधावल	शफीपुरा			
40		कुण्डली	नागतलाई			
41		सराय	सराय			
42		गण्डाल	गण्डाल			

43		बाढ़ सांचोली	सांचोली	बरनाला		
44		माधोपुरा	महरावण्ड			
45		आबादीकीढ़ाणी	महरावण्ड			
46		आरपुरा	महरावण्ड			
47		बाढ़सुन्दरी	सुन्दरी			
48		सुन्दरी	सुन्दरी			
49		भंवरकी	नारोलीचौड			
50		विछोछ	विछोछ			
51		पीलोदा	पीलोदा (अ,ब)	वजीरपुर	उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर	
52		शेखपुर	शेखपुर			
53		खरेडा	शेखपुर			
54		वजीरपुर	वजीरपुर अ			
55		किशोरपुर	पावटा			
56		पावटा	पावटा			
57		फुलवाड़ा	फुलवाड़ा			
58		खण्डीपं	खण्डीपं ब			
59		खूढाचैनपुर	खूढाचैनपुर	नादौती	उपखण्ड अधिकारी नादौती	
60		सोप	सोपए			
61		शहर	शहरए			
62		कटकड़	कटकड़			
63		कुतकपुर	गुनसार			
64		कलारन का पुरा	खेड़ा			

65		जमालपुर	खेड़ा	हिण्डौन	उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन	करौली
66		खेड़ा	खेड़ा			
67		काचरौली	कांचरौली			
68		फुलवाड़ा	फुलवाड़ा			
69		बन्ध का पुरा	फुलवाड़ा			
70		चमरपुरा	फुलवाड़ा			
71		हिण्डौन	हिण्डौन			
72		खोहराघूसैटी	करसौली			
73		कल्याणपुरसायटा	करसौली			
74		कारवाडीजट्ट	करसौली			
75		राराशाहपुर	चिनायटा	सूरोठ		
76		हाडौली	चिनायटा			
77		चिनायटा	चिनायटा			
78		खेड़ीहैवत	खेड़ीहैवत			
79		सौमली	धंधावली			
80		सौमलारात्रा	धंधावली			
81		जटवाड़ा	जटवाड़ा			
82		दुर्गसी	जटवाड़ा			
83		सनैट	सनैट	श्रीमहावीर जी		
84		कपूराइहर	कपूरामलूका			
85		कपूरामलूका	कपूरामलूका			

86		जरवर	कारवारी	बयाना	उपखण्ड अधिकारी बयाना	भरतपुर
87		झटौला	कपूरामलूका			
88		धुरैरी	कपूरामलूका			
89		पुराहरलाल	कपूरामलूका			
90		नहरौली	नहरौली			
91		शेरगढ़	शेरगढ़			
92		थानाडांग	थानाडांग			
93		देवल्दा	कांकरिया	लालसोट	उपखण्ड अधिकारी लालसोट	दौसा
94		बाढ़कल्याणपुरा	कांकरिया			
95		कल्याणपुरा	कांकरिया			
96		अचलपुरा	बिलौनाखुर्द			
97		बिलौनाखुर्द	बिलौनाखुर्द			
98		खेड़ा	बहड	निवाई	उपखण्ड अधिकारी निवाई	टोंक
99		भैरूबूल्या	बहड			
100		बहड	बहड			

फॉर्म-2

(देखे नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

क्र.स.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	महाप्रबंधक, राजस्थान, वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लि.पी.आई.यू.टोंक द्वितीय
(क).	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार,	ईसरदा से खुराचैनपुरा से बन्ध बारैठा भरतपुर तक फीडर का निर्माण योजना

	सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	अन्तर्गत कुल- 2851.631 हे. भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख).	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत: (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दें।	परामर्श सर्वेक्षण सुनवाई
(ग).	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ).	सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनुसार
(ड).	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हाँ
(च).	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	महाप्रबंधक, राजस्थान, वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लि.पी.आई.यू.टोंक द्वितीय

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।